(7) नये यूनिटों और विस्तार परियोजनाओं के लिए लाइसेंस प्रदान करते समय आठवीं योजना के अंत तक अर्थात् 1996-97 के अंत तक सृजित की जानी वाली अतिरिक्त क्षमता को ध्यान में रखा जाएगा ।

(8) नई चीनी फैक्ट्रियों के लिए लाइसेंस प्रदान करते समय शीरे अर्थात् औद्योगिक एल्कोहल आदि के इस्तेमाल के लिए डाऊन स्ट्रीम यूनिटों को आसानी के साथ औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किए जायेंगे ।

(ख) सर्वप्रथम लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्रों की खाद्य मंत्रालय की जांच समिति द्वारा जांच-पड़ताल की जायेगी । ऐसे आवेदन पत्रों पर विचार करते समय संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों के टिप्पण भी प्राप्त किये जायेंगे । राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश के प्रशासन को अपने टिप्पण खाद्य मंत्रालय में पत्र प्राप्त होने की तारीख से 3 महीनों की अवधि के अन्दर भेजने होंगे ।

(ग) नई चीनी फैक्टरियां स्थापित करने तथा वर्तमान यूनिटों के अनुसार में विस्तार करने के लिये औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र फार्म आई०एल० में 2500/- रुपये की विहित फीस के साथ औद्योगिक विकास विभाग के औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय को सीधे ही प्रस्तुत किये जाने चाहिये । आवेदन पत्र की एक प्रति खाद्य मंत्रालय को भी भेजी जाये ।

(घ) ऊपर उल्लिखित कार्यविधि और मार्गदर्शी सिद्धांत उद्यमियों की जानकारी और मार्गदर्शन हेतु उनके नोटिस में लाये जाते हैं ।

हस्ता०/-
(एस० भवानी)
उप सचिव, भारत सरकार

[फा०सं० 10(74)/91-एल०पी०]
नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1991

पत्र सूचना कार्यालय को उपर्युक्त प्रैस नोट की विषय वस्तु को व्यापक प्रचार करने हेतु प्रेषित ।

मुख्य सूचना अधिकारी,
पत्र सूचना कार्यालय,
नई दिल्ली ।

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को नई भारतीय खाद्य निगम में ठेका श्रम प्रणाली

2134. **श्रीमति सत्या बहिन** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में भारतीय खाद्य निगम में श्रमिकों से संबंधित काम अभी भी ठेका श्रम प्रणाली के अधीन कराया जा रहा है;

(ख) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिनमें ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों से काम कराया जा रहा है और किन-किन राज्यों में ठेका श्रम प्रणाली समाप्त की जा चुकी है ; और

(ग) क्या सरकार की इस समय खाद्यान्न के लदान और उतराई के लिये कार्यरत कर्मचारियों को ठेकेदारी प्रथा से मुक्त कर सीधे कार्य कराने की कोई योजना है, यदि हां, तो उसकी प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा सभी राज्यों में ठेकेदारों सहित विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से निरन्तर मजदूर रखे जा रहे हैं ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम में ठेका मजदूरों को रोजगार पर लगाने पर रोक लगाने के लिये ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अधीन उपयुक्त प्राधिकरण श्रम मंत्रालय ने अब तक भारतीय खाद्य निगम के ऐसे 193 केन्द्रों को अधिसूचित किया है जहां पर ठेका मजदूरों को रोजगार पर लगाने पर रोक लगा दी गई है । उनमें से 78 केन्द्रों में

ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त किया जा चुका है । शेष 115 केन्द्रों में से 53 केन्द्रों में सीधा भुगतान प्रणाली, 38 में में श्रमिक सहकारी समिति प्रणाली चलाई जा रही है और 8 केन्द्रों को खाली कर दिया गया है । शेष 16 केन्द्र ठेका श्रम प्रणाली के उत्सादन के योग्य नहीं हैं ।

चीनी मिलों के लिये जारी किये गये लाइसेंस

2135. **श्रीमती सत्या बहिन** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सहकारी क्षेत्र में चीनी के नये कारखाने लगाने के लिये लाइसेंस जारी करने का विचार रखती है ;

(ख) क्या सरकार चीनी मिलों को लगाने के लिये अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार सहकारी संस्थाओं और अनुसूचित जाति के इच्छुक आवेदकों को उत्तर प्रदेश में डिस्टिलरी खोलने के लिये अनुमति प्रदान करने का विचार रखती है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिये आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु सहकारी क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों पर सरकार द्वारा प्रचलित लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विचार किया जाता है । चीनी वर्ष 1993–94 के दौरान अभी तक सहकारी क्षेत्र में 3 आशय पत्र जारी किये गये हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सहकारी संस्थाओं और अनुसूचित जाति के उद्यमियों सहित, कोई भी उद्यमी उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत बिना लाइसेंस के औद्योगिक एल्कोहल के उत्पादन के लिये डिस्टिलरी लगा सकता है ।

Sugar Development Fund

2136. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) what is the total money in the Sugar Development Fund as on 1st December, 1993;

(b) what are the plans for its utilisation; and

(c) how much has been given to Maharashtra?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): Total cess transferred to Sugar Development Fund till 1st December, 1993 is Rs. 1299 Crores

(b) The Fund is utilised for the following purposes:—

(i) Making loans for facilitating the rehabilitation and modernisation of any sugar factory;

(ii) Making loans for the undertaking of any scheme for development of sugar cane in the area in which any sugar factory is situated;

(iii) Making grants for the purpose of any research project aimed at development of sugar industry;

(iv) Defraying expenditure for the purpose of building up and maintenance of buffer stock of sugar with a view to stabilising price of sugar;

(v) Defraying any other expenditure for the purpose of the Act.

(c) Till 30. 11. 1993, loans aggregating to Rs. 96.29 crores had been sanc-